

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Friday, 25 September 2026

शिमला की चेवड़ी पंचायत में नहीं खुलेगा अब शराब का ठेका, मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दिए बंद करने के निर्देश

Publisher

Published on 18 Jul 2025



शिमला (हिमाचल प्रदेश), 18 जुलाई 2025 — शिमला जिले की चेवड़ी पंचायत में स्थानीय लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों के विरोध के चलते अब शराब का ठेका नहीं खुलेगा। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए एक्साइज कमिश्नर को ठेका बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

क्या है मामला ?

चेवड़ी पंचायत के खेरा गांव में शराब का ठेका खोले जाने के बाद पंचायत प्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। जनता के भारी विरोध और जनप्रतिनिधियों की नाराज़गी को देखते हुए मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा,

“समाचार वाणी के माध्यम से जनता के विरोध को ध्यान में रखते हुए, मैं एक्साइज कमिश्नर को ठेका बंद करने के निर्देश दे रहा हूँ। यह निर्णय जनता के हितों और पंचायत की गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।”

बिना NOC खुलता है ठेका

हालांकि शराब ठेके का मामला पंचायती राज विभाग के अधीन नहीं आता और न ही इसके लिए पंचायत की NOC जरूरी होती है, फिर भी जनभावनाओं का सम्मान करते हुए मंत्री ने यह फैसला लिया।

नई पंचायतों का गठन नहीं

पंचायती राज मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि **वित्तीय संकट** के चलते राज्य में फिलहाल **नई पंचायतों का गठन नहीं** किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि:

- एक पंचायत पर **10 लाख रुपये सालाना खर्च** आता है।
- पंचायत भवन निर्माण में **1.14 करोड़ रुपये खर्च** होते हैं।
- राज्य सरकार को **750 नई पंचायतों** के गठन के प्रस्ताव मिले थे, जिन्हें स्थगित कर दिया गया है।

पंचायत चुनाव तय समय पर होंगे

पंचायत चुनावों को लेकर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने स्पष्ट किया कि **दिसंबर 2025 के मध्य तक पंचायत चुनाव समय पर** करवा लिए जाएंगे।

❓ निष्कर्ष

इस फैसले से यह साफ है कि सरकार **जनता की भावनाओं और पंचायत प्रतिनिधियों की आवाज को प्राथमिकता** दे रही है। वहीं, सीमित संसाधनों और आर्थिक तंगी के कारण सरकार फिलहाल **नई पंचायतों के गठन से पीछे हट रही है**।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.